



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 12, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. जनाक्रोश के बीच FCRA संशोधन विधेयक JPC को संदर्भित	2
2. मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के लिए सहमति पर केंद्र ने बदला रुख	4
3. मक्का समझौता और पश्चिम एशिया में रणनीतिक हेजिंग का उभार	5
4. भारतीय संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का लचीलापन (Resiliency)	7
5. भारत का एलपीजी आयात परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताएं	8
6. सांख्यिकी भौतिकी में योगदान के लिए दीपक धर को डिराक मेडल से सम्मानित किया गया	10
7. पैनल ने एससी/एसटी अत्याचार नियमों के तहत उन्नत राहत और संस्थागत सहायता की सिफारिश की	12
8. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखना और भारत-चीन संबंध	13
9. राष्ट्रगान वंदे मातरम को समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया	15
10. नासा ने इसरो को आर्टेमिस फ्रेमवर्क के तहत चंद्र चौकी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया	16
11. संसद ने राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने वाला अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया	17
12. निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है	19



1. जनाक्रोश के बीच FCRA संशोधन विधेयक JPC को संदर्भित

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **JPC को संदर्भ:** देश भर में व्यापक विरोध का सामना करते हुए, केंद्र सरकार ने विदेश अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, 2026) को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक संकल्प लाने का निर्णय लिया है।
- **राज्य विधानसभा का संकल्प:** तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इस विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में वापस लेने और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने का आग्रह किया।

- **अल्पसंख्यक-बहुल राज्यों में विरोध:** मिजोरम में काउंसिल ऑफ चर्चेंज द्वारा आयोजित व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि ईसाई संस्थानों और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित कल्याणकारी संगठनों पर इसका प्रतिकूल और असमान प्रभाव पड़ेगा।
- **विवादित संपत्ति हस्तांतरण प्रावधान:** विधेयक में FCRA पंजीकरण की समाप्ति, नवीनीकरण न होने, अस्वीकृति या रद्द होने पर धर्मार्थ संगठनों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रबंधन, बिक्री और नियंत्रण को एक नामित प्राधिकरण (designated authority) को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
- **स्वायत्तता और न्यायिक निगरानी:** विरोधियों का तर्क है कि पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बिना भूमि, भवनों और निधियों पर व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ (executive powers) प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों की स्वायत्तता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- **हितधारक संवाद की आवश्यकता:** नागरिक समाज समूह और राजनीतिक दल आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की परिचालन स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने के लिए एक परामर्शदात्री विधायी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **संयुक्त संसदीय समिति (JPC):** विशेष विधेयकों, विषयों या वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए संसद द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य और अवधि के लिए गठित एक तदर्थ (ad-hoc) समिति, जिसमें दोनों सदनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं।
- **FCRA (विदेश अंशदान नियमन अधिनियम):** भारत में व्यक्तियों, संघों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी निधियों की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित एक विधायी ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 26:** सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और धार्मिक व धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 30(1):** धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की रक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 300A:** यह स्थापित करता है कि कानून के प्राधिकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जो मनमाने राज्य अधिग्रहण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 10):** "विदेशी मामले" और विदेशी अंशदान की निगरानी को संघ संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के अंतर्गत रखती है।

निष्कर्ष

FCRA विधेयक को JPC के पास भेजना लोकतांत्रिक शासन में सहमति-निर्माण की आवश्यक संसदीय प्रथा को रेखांकित करता है। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय अखंडता को संतुलित करना नागरिक स्वतंत्रता और कानूनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान (मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संरक्षण); सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक और कार्यकारी निकाय; गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज की भूमिका।
- **GS प्रश्न पत्र III:** आंतरिक सुरक्षा (विदेशी वित्तीय प्रवाह और सीमा पार प्रेषण/रेमिटेंस की निगरानी)।

2. मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के लिए सहमति पर केंद्र ने बदला रुख

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **CWMA की नियामक भूमिका:** केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद अधिकरण (CWDT) के फैसले के नियामक और कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- **CWC मूल्यांकन दिशानिर्देश:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) के मानदंड यह निर्देश देते हैं कि परियोजना की मंजूरी से पहले CWMA को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि प्रस्तावित जल उपयोग अंतिम SC-संशोधित CWDT फैसले के अनुरूप है या नहीं।
- **पिछली स्थिति में बदलाव:** यह बयान मंत्रालय के उस पिछले दावे से उपजे राजनीतिक विवाद के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परियोजना निर्माण के लिए निचले तटवर्ती (lower riparian) राज्यों की सहमति की आवश्यकता का "कोई उल्लेख नहीं" था।
- **अंतर-राज्यीय विरोध:** तमिलनाडु, कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना का पुरजोर विरोध करता है। उसका तर्क है कि ऊपरी धारा पर नए भंडारण संरचनाओं का निर्माण करने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रतिबंधित होगा और आवंटित जल हिस्सेदारी का उल्लंघन होगा।
- **जल निकासी निर्देश:** चल रही समीक्षा बैठकों के बीच, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए निचले प्रवाह की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नियंत्रित जल (15 दिनों में 3,500 क्यूसेक) छोड़ने का निर्देश दिया।
- **व्यावहारिक विवाद समाधान:** केंद्र का परिष्कृत दृष्टिकोण न्यायिक जनादेशों की एकतरफा व्याख्याओं के बजाय संस्थागत नियामक तंत्रों (CWMA और CWC) पर निर्भरता को दोहराता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना (Mekedatu Balancing Reservoir Project):** बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति करने और जलविद्युत उत्पन्न करने के लिए कावेरी नदी पर मेकेदातु में कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना।
- **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले को लागू करने के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन (adjudicate) करने का अधिकार देता है, जबकि वैधानिक न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जाने वाले ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय जल संघर्षों को हल करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित; इसके फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय की डिक्ली के समान शक्ति प्राप्त है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 17 एवं सूची I, प्रविष्टि 56):** जल आपूर्ति और सिंचाई राज्य सूची (प्रविष्टि 17) के अंतर्गत आती है, जो संघ सूची (प्रविष्टि 56) के अधीन है, जो संसद को जनहित में अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित करने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

मेकेदातु मुद्दे जैसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित संस्थागत ढाँचों के सख्त पालन की आवश्यकता होती है। CWMA और CWRC जैसे वैधानिक निकायों को सशक्त बनाना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, जो निचले तटवर्ती क्षेत्रों की जल सुरक्षा के साथ ऊपरी तटवर्ती क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को संतुलित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान (संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध, अनुच्छेद 262); वैधानिक निकाय (CWMA, CWC); शासन और सार्वजनिक नीति के मुद्दे।
- **GS प्रश्न पत्र I:** भौगोलिक विशेषताएं (अंतर-राज्यीय नदी प्रणालियाँ, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह पैटर्न, जल संसाधन प्रबंधन)।

3. मक्का समझौता और पश्चिम एशिया में रणनीतिक हेजिंग का उभार

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **त्रिपक्षीय सुरक्षा संरक्षण:** सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक पारस्परिक रक्षा समझौते (mutual defence agreement) पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता स्थापित हुई जहाँ एक हस्ताक्षरकर्ता पर सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा।

- **पूरक क्षमताएं:** यह समझौता अनूठी क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ता है: सऊदी अरब की वित्तीय तरलता (liquidity) और ऊर्जा प्रभाव, तुर्की की पारंपरिक सैन्य शक्ति और रक्षा औद्योगिक परिसर, और पाकिस्तान की स्थायी सेना व परमाणु निवारक क्षमता।
- **रणनीतिक हेजिंग की ओर झुकाव:** यह समझौता पश्चिमी सुरक्षा गारंटियों (जैसे अमेरिका) पर विशेष निर्भरता से हटकर आत्मनिर्भर, स्वायत्त सुरक्षा व्यवस्था की ओर क्षेत्रीय मध्यम शक्तियों के बढ़ने को दर्शाता है।
- **वाशिंगटन के लिए भू-राजनीतिक विरोधाभास:** जहाँ अमेरिका चाहता है कि क्षेत्रीय साझेदार अधिक आत्म-रक्षा का भार उठाएं, वहीं सहयोगियों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक स्वायत्तता क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिक और सैन्य प्रभाव को कम करती है।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** यह समझौता ईरान के साथ साझा सीमा चिंताओं को संतुलित करता है, जबकि प्रमुख इस्लामी देशों के बीच सैन्य और आर्थिक क्षमताओं के संस्थागत समेकन को लेकर इज़राइल के लिए रणनीतिक आशंका पैदा करता है।
- **भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकताएं:** नई दिल्ली को यह स्पष्ट आश्वासन सुरक्षित करना होगा कि यह व्यवस्था भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संघर्षों तक विस्तारित न हो, रियाद के साथ मजबूत बहु-संरक्षण संबंध बनाए रखे जाएं और इस्लामाबाद को तुर्की द्वारा किए जाने वाले रक्षा हस्तांतरणों पर बारीकी से नजर रखी जाए।

The Mecca Deal

A trilateral mutual defence pact





WHAT'S INCLUDED

- Mutual defence guarantee**
An attack on one is an attack on all.
- Legal basis**
Grounded in Article 51 of the UN Charter – the right to individual and collective self-defence.
- Military cooperation**
Training, exchange of personnel, and joint exercises.
- Intelligence sharing**
Framework established for deeper intelligence cooperation.

WHAT IT DOES NOT INCLUDE

- No explicit nuclear provision**
No mention of nuclear weapons or a nuclear umbrella.
- No defined scope**
No clarity on the geographical scope of the guarantee.
- No automatic intervention**
No specifics on when or how the three countries would be required to intervene.

An armed attack on any one of the three countries will be regarded as an attack on all.

Commits the parties to closer defence cooperation and collective deterrence.

आवश्यक परिभाषाएं

- **रणनीतिक हेजिंग (Strategic Hedging):** एक राजनयिक रणनीति जहाँ राज्य के अभिनेता भू-राजनीतिक अनिश्चितता या त्याग से बचाव के लिए पारंपरिक गठबंधन प्रबंधन को वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य क्षमता-निर्माण के साथ जोड़ते हैं।
- **सामूहिक रक्षा खंड (Collective Defence Clause):** एक संधि तंत्र जो यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा, जो पारस्परिक सहायता को बाध्यकारी बनाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** सशस्त्र हमले की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने तक संप्रभु राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक आत्म-रक्षा के अंतर्निहित अधिकार को अधिकृत करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को स्थापित करता है जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने का निर्देश देते हैं।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 10 एवं 14):** संघ संसद को विदेशी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों पर अनन्य अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

मक्का समझौता पश्चिम एशिया में बाह्य रूप से guaranteed सुरक्षा मॉडलों से स्वदेशी क्षेत्रीय गठबंधनों की ओर एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। भारत को बदलते क्षेत्रीय पुनर्संरखण के बीच अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए पूरे पश्चिम एशिया में सक्रिय राजनयिक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत - अनुच्छेद 51; सातवीं अनुसूची के तहत विधायी शक्तियों का वितरण)।

4. भारतीय संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का लचीलापन (Resiliency)

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **चुनावी आधार का बने रहना:** हालिया चुनावी झटकों और दलबदल जैसे संगठनात्मक तनाव के बावजूद, क्षेत्रीय दल एक लचीला और सुसंगत वोट शेयर (पिछले चार लोकसभा चुनावों में औसतन ~33%) बनाए हुए हैं।
- **मतदाता द्विभाजन (Voter Bifurcation):** मतदाता व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के बीच अंतर करते हैं, जो विधानसभा चुनावों के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधनों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं।
- **संगठनात्मक तनाव बनाम चुनावी समर्थन:** क्षेत्रीय दलों में हाल ही में हुए हाई-प्रोफाइल दलबदल संस्थागत भेद्यता (vulnerability) को दर्शाते हैं, न कि अंतर्निहित मतदाता संरखण या निर्वाचन क्षेत्र के समर्थन में गिरावट को।
- **सिकुड़ता स्वतंत्र शासन:** क्षेत्रीय दल वर्तमान में केवल चार राज्यों में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं—जो दो दशकों में सबसे कम संख्या है—हालाँकि वे दस प्रमुख राज्य-स्तरीय शासी गठबंधनों में महत्वपूर्ण भागीदार बने हुए हैं।
- **फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट विकृतियाँ:** FPTP चुनावी मॉडल सीटों के रूपांतरण परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है, जिससे राष्ट्रीय लहरों के दौरान गिरावट की एक दृश्य धारणा (visual perception) बनती है, भले ही उनका मूल वोट शेयर स्थिर रहे।
- **बहुदलीय प्रणाली में संरचनात्मक स्थान:** एकल-दल के प्रभुत्व के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, राज्य-विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **क्षेत्रीय राजनीतिक दल:** राज्य के भीतर विशिष्ट चुनावी प्रदर्शन थ्रेशोल्ड के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल।
- **फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली:** एक चुनावी प्रणाली जहाँ निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है, चाहे उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो या न हो।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 75 एवं 164:** विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही स्थापित करते हैं, जो क्रमशः केंद्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 29A):** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण और वैधानिक मान्यता को विनियमित करता है।
- **दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून):** विधायी सदनों में अनुशासन को संतुलित करते हुए राजनीतिक अवसरवाद को रोकने के लिए 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ा गया।
- **मूल ढांचा सिद्धांत (संघवाद):** एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में पुष्टि की गई, जिसने संघवाद और राजनीतिक बहुलतावाद को अपरिवर्तनीय संवैधानिक विशेषताओं के रूप में पहचाना।

निष्कर्ष

यद्यपि क्षेत्रीय दलों को संगठनात्मक नवीनीकरण और दलबदल की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका मूलभूत वोट आधार बरकरार है। उनका अस्तित्व और सक्रिय भागीदारी भारतीय संघवाद से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है, जो राष्ट्रीय आख्यान के साथ-साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं; संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, और बहुदलीय गठबंधन राजनीति की गतिशीलता।
- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत निर्वाचन आयोग के कार्य और उत्तरदायित्व; क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसे प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव।

5. भारत का एलपीजी आयात परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताएं

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **अमेरिका से आयात की ओर रणनीतिक बदलाव:** भारत ने अपने एलपीजी (LPG) आयात में महत्वपूर्ण विविधता लाई है, जिसके तहत पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य में गंभीर आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए लगभग 67% आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जा रहा है।
- **भू-राजनीतिक जोखिम न्यूनीकरण:** होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण फरवरी और जून 2026 के बीच पश्चिम एशियाई एलपीजी आयात में लगभग 85% की भारी गिरावट आई, जिससे सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को दीर्घकालिक अमेरिकी अनुबंध सुरक्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- **लागत और पारगमन (Transit) नुकसान:** अमेरिकी शिपमेंट में लंबा पारगमन समय (फारस की खाड़ी से 5-10 दिनों की तुलना में 25-35 दिन) और अधिक माल भाड़ा (freight expenses) शामिल है, जो पारंपरिक निकटता मूल्य निर्धारण लाभों को समाप्त कर देता है, जब तक कि खाड़ी के बेंचमार्क दामों में भारी उछाल न आए।
- **समष्टि आर्थिक संवेदनशीलताएं (Macroeconomic Vulnerabilities):** डॉलर-मूल्यवर्ग की हाजिर खरीदारी (spot purchases) पर बढ़ती निर्भरता घरेलू OMCs को मुद्रा जोखिमों, विदेशी मुद्रा अस्थिरता और बढ़ती अंडर-रिकवरी (under-recoveries) के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो 2026 में ₹59,000 करोड़ से अधिक हो गई।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** बाहरी आपूर्ति के झटकों से बचने के लिए, भारतीय OMCs ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 35% से अधिक की वृद्धि की, जो प्रतिदिन 55,000 मीट्रिक टन तक पहुँच गई।
- **दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकताएं:** व्यापक ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थानीय रिफाइनरी प्रसंस्करण को मजबूत करना, सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) का विस्तार करना और वैकल्पिक भारत-प्रशांत साझेदारियों (जैसे ऑस्ट्रेलिया) को बढ़ावा देना आवश्यक बना हुआ है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG):** मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन युक्त हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण, जिसका व्यापक रूप से घरेलू खाना पकाने के ईंधन और औद्योगिक फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **अंडर-रिकवरी (Under-Recovery):** जब घरेलू खुदरा बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय लागत-पारदर्शी बेंचमार्क से नीचे निर्धारित किए जाते हैं, तो राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को होने वाला वित्तीय नुकसान/अंतर।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962:** देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अधिकार (right of user) के अधिग्रहण के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 53):** भारत की संसद को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और खतरनाक घोषित अन्य तरल पदार्थों तथा पदार्थों पर अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करती है।
- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:** प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, खपत मानकों और रणनीतिक ऊर्जा संरक्षण पहलों को विनियमित करने वाला एक ढांचागत कानून।

निष्कर्ष

मध्य पूर्व के संघर्षों के बीच अमेरिकी एलपीजी आयात की ओर रुख करना तात्कालिक घरेलू आपूर्ति निरंतरता की रक्षा करता है, लेकिन लंबी दूरी के आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता भाड़ा, मुद्रा और व्यापार नीति जोखिम उत्पन्न

करती है। लचीली ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता विविधीकरण को उन्नत घरेलू उत्पादन और मजबूत रणनीतिक ऊर्जा भंडारण के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के रणनीतिक हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **GS प्रश्न पत्र III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन); भारतीय अर्थव्यवस्था (OMC अंडर-रिकवरी का वित्तीय बोझ, आयात निर्भरता और बाह्य व्यापार संतुलन)।

6. सांख्यिकी भौतिकी में योगदान के लिए दीपक धर को डिराक मेडल से सम्मानित किया गया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **प्रतिष्ठित सम्मान:** भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी (statistical physics) और स्व-संगठित क्रांतिकता (self-organized criticality) में ऐतिहासिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित ICTP डिराक मेडल (Dirac Medal) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान तीन अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञानियों के साथ साझा किया।
- **दूसरे भारतीय प्राप्तकर्ता:** प्रो. धर 2012 में स्ट्रिंग थ्योरिस्ट अशोक सेन के बाद डिराक मेडल प्राप्त करने वाले केवल दूसरे भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं, जो मौलिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती उत्कृष्टता को उजागर करता है।
- **ऐतिहासिक मॉडल (Breakthrough Model):** "एबेलियन सैंडपाइल मॉडल" (Abelian sandpile model) के धर के सूत्रीकरण ने स्व-संगठित क्रांतिकता का प्रदर्शन करने वाली प्रणालियों के लिए सटीक गणितीय समाधान (exact mathematical solvability) स्थापित किया, जिससे यह साबित हुआ कि अंतिम स्थिर अवस्थाएं कैस्केडिंग अनुक्रम की परवाह किए बिना अपरिवर्तित रहती हैं।
- **बहुविषयक प्रभाव:** स्व-संगठित क्रांतिकता के पीछे की गणितीय अंतर्दृष्टि वैज्ञानिकों को भूकंपीय घटनाओं, जंगल की आग के फैलाव, तंत्रिका नेटवर्क गतिशीलता (neural network dynamics) और वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ाव सहित जटिल गैर-संतुलन परिघटनाओं (non-equilibrium phenomena) को मॉडल करने की अनुमति देती है।
- **प्रतिष्ठित वैज्ञानिक करियर:** TIFR और IISER पुणे के पूर्व शोधकर्ता, प्रो. धर को इससे पहले 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल और 2023 में पद्म भूषण प्राप्त हो चुका है, जो घरेलू बुनियादी अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समर्पित करियर को दर्शाता है।



- **ICTP की भूमिका:** नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुस सलाम द्वारा 1964 में स्थापित, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स (ICTP) ग्लोबल साउथ के शोधकर्ताओं और वैश्विक अनुसंधान केंद्रों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को जोड़ता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सांख्यिकी भौतिकी (Statistical Physics):** सूक्ष्म कणों के बड़े समूहों के स्थूल गुणों (macroscopic properties) और सामूहिक व्यवहारों को समझने के लिए प्रायिकता सिद्धांत (probability theory) और सांख्यिकी का उपयोग करने वाली भौतिकी की एक शाखा।
- **स्व-संगठित क्रांतिकता (Self-Organized Criticality):** गतिशील प्रणालियों का एक गुण जहाँ गैर-संतुलन जटिल नेटवर्क अनायास एक ऐसे क्रांतिक बिंदु की ओर विकसित होते हैं जहाँ मामूली विक्षोभ (minor perturbations) किसी भी पैमाने की घटनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं।
- **डिराक मेडल (Dirac Medal):** ICTP द्वारा प्रतिवर्ष सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानियों को प्रदान किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है (पुरस्कार के समय नोबेल पुरस्कार विजेताओं और फील्ड्स पदक विजेताओं को छोड़कर)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने के प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को स्थापित करता है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP):** आर एंड डी (R&D) निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और उच्च-प्रभाव वाले तकनीकी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित राष्ट्रीय नीति ढांचा।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023:** भारत के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बीज रूप में रोपने, बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित वैधानिक तंत्र।

निष्कर्ष

प्रो. दीपक धर को मिला डिराक मेडल भारतीय शैक्षणिक संस्थानों से उत्पन्न सैद्धांतिक विज्ञान के वैश्विक मूल्य को रेखांकित करता है। मजबूत फंडिंग ढांचे के माध्यम से मौलिक अनुसंधान में निवेश करना तकनीकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने और देश भर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग तथा प्रभाव; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- **GS प्रश्न पत्र II:** संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य); अनुसंधान और उच्च शिक्षा प्रशासन के लिए वैधानिक ढाँचे।

7. पैनल ने एससी/एसटी अत्याचार नियमों के तहत उन्नत राहत और संस्थागत सहायता की सिफारिश की

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **टास्क फोर्स की सिफारिशें:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक टास्क फोर्स ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों में व्यापक संशोधनों की सिफारिश की।
- **मुद्रास्फीति से जुड़ी क्षतिपूर्ति:** पैनल ने मुद्रास्फीति के अनुसार तालमेल बैठाने के लिए अत्याचार पीड़ितों के लिए अनिवार्य वित्तीय राहत और पुनर्वास राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसने 2016 में तय की गई ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की वर्तमान स्लैब का स्थान लिया।
- **संस्थागत सहायता और परामर्श:** प्रमुख प्रस्तावों में पीड़ितों, आश्रितों और आरोपियों के लिए औपचारिक मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष राहत और पुनर्वास सेल स्थापित करना शामिल है।
- **प्रक्रियात्मक तेजी (Procedural Fast-Tracking):** सिफारिशों में प्रक्रियात्मक देरी को रोकने और तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे के भीतर निर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और चार्ज-शीट भेजने का निर्देश दिया गया है।
- **आजीविका और काउंटर-FIR सुरक्षा:** अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) ने कानूनी विवादों के दौरान भूमि से विस्थापित आदिवासी समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और अत्याचार की रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक "काउंटर-FIR" की जाँच करने के उपायों का अलग से आग्रह किया।
- **पृष्ठभूमि संदर्भ:** ये प्रशासनिक समीक्षा उपाय 2018 में किए गए पिछले वैधानिक संशोधनों के बाद आए हैं, जिन्होंने व्यापक जन विरोध प्रदर्शनों के बाद सख्त प्रवर्तन प्रावधानों को बहाल किया था।



आवश्यक परिभाषाएं

- **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराधों, उत्पीड़न और संरचनात्मक भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियमित एक विशेष आपराधिक कानून।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST):** अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने, कानूनी गारंटियों की देखरेख करने और सामाजिक-आर्थिक विकास उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 15(4) एवं 17:** अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या एससी/एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 17 "अस्पृश्यता" का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 338 एवं 338A:** वैधानिक उल्लंघनों की जांच करने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना करते हैं।
- **SC/ST (PoA) संशोधन अधिनियम, 2018:** धारा 18A को पुनः शामिल किया गया ताकि यह अनिवार्य किया जा सके कि FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और इस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

प्रचलित मुद्रास्फीति के अनुरूप राहत पैकेजों को अपग्रेड करना और पुनर्वास कक्षों को संस्थागत बनाना वंचित/संवेदनशील समुदायों के लिए सामाजिक-कानूनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। व्यापक मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ प्रक्रियात्मक गति को जोड़ना भारत के संवैधानिक ढांचे में निहित न्याय की वास्तविक दृष्टि को पूरा करने में मदद करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** संवेदनशील वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान और तंत्र; वैधानिक ढाँचे, आयोग और कार्यकारी नीतियाँ (NCSC, NCST, सामाजिक न्याय मंत्रालय)।
- **GS प्रश्न पत्र II:** कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेप; प्रशासनिक कार्यान्वयन और संस्थागत सुधार से संबंधित मुद्दे।

8. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखना और भारत-चीन संबंध

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सीमा शांति द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी:** विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ शांति और शांति बनाए रखना "अत्यंत महत्वपूर्ण" है और यह सीधे तौर पर भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक स्थिति को निर्धारित करता है।
- **अरुणाचल प्रदेश में कथित घुसपैठ:** अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले (तक्सिंग सर्कल में पुकार ला और ओल्लो) में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की गतिविधियों और अतिक्रमण के संबंध में नई रिपोर्टें सामने आईं।
- **WMCC के माध्यम से कूटनीतिक जुड़ाव:** भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र (WMCC) की 36वीं बैठक के दौरान इस मुद्दे को रेखांकित किया गया था, जहाँ दोनों देश गलतफहमियों को रोकने के लिए मौजूदा सैन्य और राजनयिक चैनलों का उपयोग करने पर सहमत हुए थे।

- **क्षेत्रीय दावों की अस्वीकृति:** भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक विशेषताओं के नामों के मानकीकरण पर बीजिंग की आपत्तियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, और दोहराया कि यह राज्य भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग बना हुआ है।
- **परिचालन तत्परता (Operational Readiness):** भारतीय सशस्त्र बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उच्च परिचालन तत्परता और अग्रिम प्रभुत्व बनाए रखते हैं।
- **गलतफहमी को रोकना:** दोनों देशों ने अनिर्धारित सीमा पर बकाया तनाव बिंदुओं को हल करने के लिए स्थानीय कमांडर-स्तरीय बैठकों और द्विपक्षीय संवाद का उपयोग करने पर जोर दिया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):** भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली 3,488 किमी की अनिर्धारित सीमा, जो पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल/उत्तराखंड) और पूर्वी (अरुणाचल/सिक्किम) क्षेत्रों में विभाजित है।
- **परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र (WMCC):** शांति बनाए रखने और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमा मामलों पर संवाद के लिए भारत और चीन के बीच 2012 में स्थापित एक संस्थागत ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 1(1) और पहली अनुसूची:** भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, संवैधानिक कानून के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत गणराज्य की एक अभिन्न क्षेत्रीय इकाई के रूप में पुष्टि करता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 1 एवं 14):** राष्ट्रीय रक्षा, सशस्त्र बलों, विदेशी मामलों और विदेशी राज्यों के साथ संधियों पर संघ संसद को अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करती है।
- **शिमला समझौता (1914):** ऐतिहासिक सम्मेलन जिसने मैकमोहन रेखा को पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच कानूनी सीमा के रूप में स्थापित किया, जिसे चीन औपचारिक रूप से स्वीकार करने से इनकार करता है।

निष्कर्ष

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निरंतर शांति भारत और चीन के बीच व्यापक राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए WMCC जैसे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना क्षेत्रीय संप्रभुता और रणनीतिक संतुलन सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत और उसके पड़ोसी-संबंध; भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह और समझौते; भारत पर विदेशी देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **GS प्रश्न पत्र III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; सीमा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास; संगठित अपराध के आतंकवाद के साथ संबंध।

9. राष्ट्रगान वंदे मातरम को समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- राष्ट्रपति की स्वीकृति:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026) को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान ही राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।
- व्यवधान के लिए दंड:** संशोधित कानून स्पष्ट रूप से वंदे मातरम के आधिकारिक गायन या वादन के दौरान जानबूझकर बाधा डालने, रोकने या अनादर करने को अपराध घोषित करता है।
- विधायी प्रक्रिया:** कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने से पहले विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा द्वारा और उसके बाद 30 जुलाई को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
- समान स्थिति परिलक्षित:** यह वैधानिक संशोधन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच समानता को औपचारिक रूप देता है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित लंबे समय से चली आ रही विधायी चर्चाओं को पूरा करता है।
- कार्यान्वयन पर बहस:** विपक्षी संसदीय आवाजों ने व्यावहारिक कार्यान्वयन के संबंध में चिंता जताई, जिसमें राज्य और आधिकारिक समारोहों के दौरान पूरे गायन की समय अवधि (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) का हवाला दिया गया।
- नागरिक अपेक्षाएं:** यह कानून मौलिक नागरिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है और साथ ही देशभक्ति के जनादेशों को स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी के साथ संतुलित करने पर चर्चा की शुरुआत करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर को रोकने के लिए अधिनियमित संसद का एक अधिनियम।
- राष्ट्रगीत (वंदे मातरम):** बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अपने 1882 के उपन्यास 'आनंदमठ' में संस्कृतनिष्ठ बंगाली में रचित एक देशभक्ति कविता, जिसे 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 51A(a):** मौलिक कर्तव्य के रूप में यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा।
- संविधान सभा का प्रस्ताव (24 जनवरी, 1950):** डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण वंदे मातरम को 'जन गण मन' के समान ही सम्मानित किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026:** राष्ट्रगीत को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान डालने को दंडित करने के लिए धारा 3 के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करता है।

निष्कर्ष

वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण देना उन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के संवैधानिक जनादेश को मजबूत करता है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। कानूनी जनादेशों को स्वैच्छिक नागरिक जागरूकता के साथ संतुलित करना संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए मूलभूत बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A); संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन।
- **GS प्रश्न पत्र I:** भारतीय संस्कृति और इतिहास—भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवादी साहित्य और प्रतीकों की भूमिका।

10. नासा ने इसरो को आर्टेमिस फ्रेमवर्क के तहत चंद्र चौकी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **इसरो को औपचारिक निमंत्रण:** नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता की पहली चंद्र चौकी (lunar outpost) स्थापित करने के उद्देश्य से अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया।
- **CSJWG द्विपक्षीय वार्ता:** यह निमंत्रण बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में आयोजित भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान दिया गया था।
- **आर्टेमिस समझौतों का संरेखण:** यह पहल भारत के 2023 के आर्टेमिस समझौतों (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर करने का विस्तार करती है, जो खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण, मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाती है।
- **रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी:** द्विपक्षीय वार्ताओं ने 'यू.एस.-इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी' (TRUST) पहल के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाया।
- **NISAR के बाद का तालमेल (Synergy):** यह सहयोग संयुक्त नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह मिशन के सफल प्रक्षेपण सहित पिछली संयुक्त उपलब्धियों पर आधारित है, जो भविष्य के गहरे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझाकरण का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **वैश्विक शासन सिद्धांत:** दोनों देशों ने अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

आवश्यक परिभाषाएं

- **आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords):** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक गैर-बाध्यकारी बहुपक्षीय ढांचा जो चंद्रमा, मंगल और खगोलीय पिंडों के नागरिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के सिद्धांत स्थापित करता है।
- **मून बेस प्रोग्राम (Moon Base Programme):** चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास एक निरंतर बुनियादी ढांचा और परिचालन निवास स्थान का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया नासा का दीर्घकालिक चंद्र ढांचा, जो भविष्य के मानव युक्त मंगल अभियानों के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करेगा।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967:** अंतरिक्ष कानून को विनियमित करने वाला मौलिक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, जो यह अनिवार्य करता है कि चंद्रमा सहित बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए स्वतंत्र होगा और इसका उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- **UN COPUOS दिशानिर्देश:** अंतरिक्ष मलबे को कम करने, संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भावी पीढ़ियों के लिए बाह्य अंतरिक्ष वातावरण को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय गैर-बाध्यकारी नियम।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 6):** अंतरिक्ष और रणनीतिक तकनीकी अनुसंधान के साथ-साथ "परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन" को संघ संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के अंतर्गत रखती है।

निष्कर्ष

इसरो को नासा का निमंत्रण एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में भारत के उभरते कद को दर्शाता है। आर्टेमिस समझौतों के तहत द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने से तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में प्रगति होती है और टिकाऊ वैश्विक अंतरिक्ष शासन का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और उनके अनुप्रयोग; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान (इसरो, आर्टेमिस समझौते, निसार)।
- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते; बाह्य अंतरिक्ष को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और दिशानिर्देश (UN COPUOS, बाह्य अंतरिक्ष संधि)।

11. संसद ने राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने वाला अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **NTC की स्थापना:** संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया, जिसने प्रमुख अधिकरणों (tribunals) में चयन, प्रशासन और प्रदर्शन समीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission - NTC) की स्थापना की।
- **संरचनात्मक ढांचा:** NTC की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे, जिनके साथ दो न्यायिक सदस्य और कम से कम 25 वर्षों का डोमेन अनुभव रखने वाले दो तकनीकी सदस्य होंगे।
- **चयन और नियुक्तियां:** अधिकरणों में नियुक्तियां NTC नेतृत्व की अध्यक्षता वाली एक खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) के माध्यम से की जाएंगी, जिसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश के तीन महीने के भीतर नियुक्तियां पूरी करना आवश्यक होगा।
- **अधिकरणों का युक्तीकरण (Rationalization):** यह कानून भारत के अधिकरण ढांचे को और सुव्यवस्थित करता है, जिससे कार्यात्मक राष्ट्रीय अधिकरणों की कुल संख्या घटकर 16 प्रमुख निकायों तक सीमित हो जाती है।
- **न्यायिक जनादेशों का कार्यान्वयन:** यह सुधार मद्रास बार एसोसिएशन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बाध्यकारी निर्देशों के साथ अधिकरण नियुक्ति, कार्यकाल और निगरानी तंत्र को सीधे सरेखित करता है।
- **अनुषंगिक विधायी कार्य:** अधिकरण सुधारों के साथ, संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी, जिससे अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC):** पारदर्शी चयन प्रक्रियाएं संचालित करने, न्यायिक प्रदर्शन की समीक्षा करने और कवर किए गए अधिकरणों में प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए निर्मित एक शीर्ष वैधानिक निगरानी निकाय।
- **अधिकरण (Tribunal):** पारंपरिक अदालत संरचनाओं के बाहर विशेष प्रशासनिक, कर, वित्तीय या पर्यावरण क्षेत्रों में विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए कानून द्वारा स्थापित एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) संस्था।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 323A एवं 323B:** 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा शामिल किए गए, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को प्रशासनिक और डोमेन-विशिष्ट विवाद अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देते हैं।
- **अनुच्छेद 3:** संसद को किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है, जैसा कि पहली अनुसूची में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने में प्रयोग किया गया।
- **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत:** संवैधानिक सिद्धांत जिसके तहत अधिकरणों को कार्यकारी प्रभाव से स्वतंत्र रखना आवश्यक है; इसकी पुष्टि एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) और मद्रास बार एसोसिएशन (2021) में की गई थी।

निष्कर्ष

न्यायपालिका के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का गठन अधिकरण प्रशासन में न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक संस्थागत बदलाव का प्रतीक है। समान चयन और कार्यकाल नियमों को संस्थागत बनाने से त्वरित विशिष्ट विवाद समाधान के साथ-साथ संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण।
- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान—विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 3, 323A और 323B)।

12. निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **समग्र राजस्व वृद्धि:** चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह (net direct tax collection) साल-दर-साल 23.09% बढ़कर ₹8.11 लाख करोड़ को पार कर गया।
- **कॉर्पोरेट कर गतिशीलता:** निवल कॉर्पोरेट कर संग्रह 19.83% बढ़कर लगभग ₹2.70 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो मजबूत कॉर्पोरेट लाभप्रदता और अनुपालन का संकेत देता है।
- **गैर-कॉर्पोरेट और आयकर वृद्धि:** व्यक्तिगत आयकर सहित गैर-कॉर्पोरेट प्रत्यक्ष कर संग्रह ने 23% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹5.07 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ।
- **उछालयुक्त वित्तीय बाजार:** पूंजी बाजारों में खुदरा और संस्थागत भागीदारी में वृद्धि के कारण प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) राजस्व 51% बढ़कर ₹33,824 करोड़ हो गया।
- **उच्च सकल संग्रह एवं कर रिफंड:** सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.75% बढ़कर ₹9.55 लाख करोड़ हो गया, जबकि ₹1.43 लाख करोड़ मूल्य के कर रिफंड जारी किए गए (3.8% अधिक)।
- **वित्तीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) प्रभाव:** निरंतर दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि लक्षित राजकोषीय घाटे के पथ का पालन करते हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान (fiscal headroom) प्रदान करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रत्यक्ष कर (Direct Tax):** किसी व्यक्ति या संस्था की आय, संपत्ति या लाभ पर सीधे लगाया जाने वाला कर (जैसे कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर), जहाँ कर का बोझ किसी अन्य संस्था पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- **प्रतिभूति लेनदेन कर (STT):** भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से लेनदेन की जाने वाली प्रतिभूतियों (जिसों और मुद्रा को छोड़कर) के मूल्य पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 265:** यह अनिवार्य करता है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 270:** वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच संघ के करों की निवल आय के वितरण को नियंत्रित करता है।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** भारत में प्रत्यक्ष आयकर लगाने, प्रशासन, संग्रह और वसूली को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **वित्त अधिनियम (वार्षिक):** केंद्रीय बजट प्रस्तावों के वैधानिक प्राधिकरण के तहत वार्षिक कर दर संशोधनों और प्रक्रियात्मक संशोधनों को अधिनियमित करता है।



निष्कर्ष

निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% का विस्तार अर्थव्यवस्था के निरंतर औपचारिकीकरण (formalization) और बेहतर कर अनुपालन तंत्र को दर्शाता है। राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी पहलों के वित्तपोषण के लिए इस संरचनात्मक गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; राजकोषीय नीति, कर प्रशासन सुधार और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन।
- **GS प्रश्न पत्र II:** वित्तीय संघवाद और राजस्व साझाकरण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढाँचे (आयकर अधिनियम) और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 265 और 270)।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

AUGUST 12, 2026

